झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

पंचदश (बजट) सत्र

वर्ग–05

निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 19 माघ, 1940 (श0) ..... को 08 फरवरी,2019 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभाग को भेजी गई सा0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
144.	अ0सू0–44	श्री बिरंची नारायण	मेडिकल कॉलेज का निर्माण।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	29.01.19
145.	अ0सू0–43	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	नयी योजनाओं का औचित्य।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	29.01.19
146.	अ0सू0–48	श्री राज कुमार यादव	दोषी पदाधिकारियों को दंडित करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	03.02.19
147.	अ0सू0–45	श्री कुणाल षड़ंगी	सेवा स्थायी करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	30.01.19
148.	अ0सू0–40	श्री बिरंची नारायण	मालगुजारी रसीद निर्गत करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	24.01.19
149.	अ0सू0–33	श्री प्रदीप यादव	मापदंड पूरा कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	21.01.19
150.	अ0सू0–28	श्री मनीष जायसवाल	मुफ्त ईलाज एवं दवा उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	20.01.19

01.	02.	03.	04.	05.	06.
151.	अ0सू0-37	श्री अरूप चटर्जी	नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	23.01.19
152.	अ0सू0-32	श्री प्रदीप यादव	टाटा लीज समझौता की समीक्षा।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	21.01.19
153.	अ0सू0-46	श्री बादल	समुचित कार्रवाई	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	01.02.19
154.	अ0सू0-47	श्री अरूप चटर्जी	नियमों के प्रतिकूल कार्यों पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	01.02.19

राँची
दिनांक-08 फरवरी,2019 (ई0)

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2018-1145/वि0स0, राँची, दिनांक- 05/02/19

प्रति :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 04.02.19

(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2018-1145/वि0स0, राँची, दिनांक- 05/02/19

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 04.2.19

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2018-1145/वि0स0, राँची, दिनांक- 05/02/19

प्रति :- कार्यवाही शाखा/बेवसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 04.02.19

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

04.02.19

(144)

श्री बिरंची नारायण, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 08.02.2019 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न–स0 आसू0 –44 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि 2016–17 के बजट में बोकारो में मेडिकल कॉलेज बनाने का उपबंध किया गया था;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अभी तक बोकारो में मेडिकल कॉलेज निर्माण का काम प्रारंभ नहीं हुआ है;		स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित को देखते हुए बोकारो में यथाशीघ्र मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य शुरू करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वस्तु स्थिति यह है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत् स्वीकृति हेतु प्रश्नाधीन योजना से संबंधित कुल 690.00 करोड़ (छः अरब नब्बे करोड़) रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (असू0)– 32/2019– 220 स्वा0, राँची, दिनांक: 06.02.19

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 989/वि0स0, दिनांक– 29.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/02/19
सरकार के अवर सचिव।

(145)

प्रो0 स्टीफन मरांडी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–08.02.19 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0– 43 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि गरीब मरीजों को बाटने हेतु 50 करोड़ मूल्य की 50 टन दवायें गोदाम में रखकर सड़ा दी गयी जिसे अब जलाने की दिशा में विभाग अग्रसर है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। इन दवाओं का क्रय लगभग 11 वर्ष पूर्व किया गया था जिसके संबंध में केन्द्रीय अनवेष्ण ब्यूरो, SPE, AHD रांची में FIR No RCII (A)/2009 Date 29.08. 2009 दर्ज है। इन दवाओं की कीमत लगभग 25 करोड़ रूपये है। जॉच प्रक्रिया के क्रम में ये दवाऐं वर्षों पूर्व ही Expired हो चूकी है। अतः इनको CPCB के Guideline के अनुरूप निस्तारण किया जाना है। इसके उपरांत भंडार में उलपब्ध खाली स्थान का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जायेगा।
2-	क्या यह बात सही है, कि 144.26 करोड़ रूपये (67 प्रकार के कुल 2057 उपकरणों के अनुपलब्ध मूल्य को छोड़कर) में खरीदे गये 517 प्रकार के 16400 मेडिकल मशीनों उपकरणों में से 3734 काम नहीं करते, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख के दो सेल सेवार मशीन एवं विभिन्न जिलों के अस्पतालों में पड़े मशीन सहित 1156 के कार्टून नहीं खुलें एवं 1195 मशीन कंडम पाये गये ;	आंशिक स्वीकारात्मक। ज्ञातव्य हो कि मेसर्स मेडिसिटी को मरम्मति एवं प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। इसमें कम्पनी पहले Tagging/registration का कार्य करती है उसके पश्चात ही Equipment मरम्मति/प्रबन्धन/Testing Calibration इत्यादि के पात्र हो पाते है यानि कि Service Provide के Scope में होते है। 04 फरवरी 2019 तक सेवा प्रदाता के द्वारा 16319 Bio Medical Equipment का Tagging किया गया है, जिसमें 1255 Equipment को Condemned करने का प्रस्ताव दिया गया है तथा यह प्रक्रियाधीन है जिसमें अन्तिम निर्णय जिला उपायुक्त के अनुमोदन उपरान्त, असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा लिया जाना है। जब Tagging किया जा रहा था उस समय कुछ उपकरण पहले से ही खराब थे, जिसे Historical अकार्यकारी उपकरण कहा गया है। इसकी संख्या 6633 थी आज की तिथि में इसकी संख्या 524 है जो Repair किये जा रहे है।
3-	क्या यह बात सही है, कि लाखों के खर्च पर विभिन्न कम्पनियों के द्वारा सर्वे के दौरान पायी गयी त्रुटियॉ भी बिना किसी सुधारात्मक पहल की ज्यों की त्यों बनी रही ;	आंशिक स्वीकारात्मक। मेसर्स एच0एल0एल0 के द्वारा सर्वे किया गया तथा झारखण्ड के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों का Detail जमा किया गया, जिसके आधार पर खुली निविदा की गई और मेसर्स मेडिसिटी का चयन हुआ। इस कार्य के कार्यान्वयन में जो उपकरण/केन्द्र छुट गये थे उन्हें शामिल करते हुए सुधार किया गया। NHSRC, New Delhi के द्वारा जारी दिशा निर्देश पर ही यह कार्य किया जा रहा है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सर्वे पर किया गया व्यय सहित निरर्थक साबित हुई स्वास्थ्य सेवा इसके नाम पर नयी योजनाओं के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए इस दिश में ठोस पहल करने का इरादा रखती है, हॉं तो कब तक नही तो क्यों ?	झारखण्ड के सभी जिलों के Bio Medical Equipment का विवरण जमा करने के लिए जो सर्वे किया गया था उसी पर खुली निविदा की गई और आज की तारीख में मेसर्स मेडिसिटी द्वारा सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में मरम्मति एवं प्रबन्धन सुचारू रूप से किया जा रहा। इसके कार्य का लेखा जोखा NHM की Website पर उपलब्ध जो पूर्ण रूपेण पारदर्शी है। इस कार्य के होने के वाद आज की तारिख में यह कह सकते है कि किस स्वास्थ्य केन्द्र में कितने प्रकार के उपकरण है, उपकरण कितने पुराने है इत्यादि। इन सूचनाओं के आधार पर स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने उपकरण होना चाहिए का Gap Analysis कर नये एवं अच्छे उपकरण समय–समय पर क्रय किये जा सकते हैं।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-20/19 1116 15 राँची, दिनांक– 7/2/2019

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 990 दिनांक– 29-01-19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07.2.19

सरकार के उप सचिव

Tiwari

श्री राज कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जानेवाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–48 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री राज कुमार यादव, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि हजरीबाग जिला के सदर अंचल हजारीबाग अन्तर्गत ग्राम–कैन्टोनमेन्ट, थाना सं0–157, खाता सं0–68, प्लॉट सं0–367, रकवा–0.12 डी0 भूमि का दाखिल खारिज वाद संख्या–3652/ 2014–15 में किशोरी सिन्हा पति स्व0 राम प्रमोद प्रसाद के नाम से किया गया है तथा मालगुजारी रसीद व Online रसीद 2017–18 तक निर्गत किया गया है;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त भूमि को किशोरी सिन्हा ने हजारीबाग जिला के निबंधन कार्यालय से निबंधित कराकर दस्तावेज संख्या–9723 दिनांक–26.05.1970 को जगदीश प्रसाद पिता जे0एन0 साहू से खरीदा है तथा खतियानी रैयत दुखन दुसाध पुत्र राध राम से जगदीश प्रसाद ने हासिल किया था;		स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त भूमि को भूमि–माफियाओं द्वारा षड़यंत्र के तहत अधिकारियों से साँठ–गाँठ कर हड़पने के लिए उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक–323/खा0म0, दिनांक–25.08.18 तथा आयुक्त कार्यालय के पत्रांक–39 (क) 11 (हजा0) 2018–1366 दिनांक–29.08.2018 को उप सचिव,. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को अभिलेख संख्या–01/2018 खास महाल भूमि में तब्दील कर दस्तावेज को पाँच लोगों के नाम से लीज बंदोबस्ती के लिये प्रस्ताव भेजा गया है;		अस्वीकारात्मक। ग्राम–कैन्टोनमेन्ट अन्तर्गत वर्किंग खतियान खाता सं0–68, प्लॉट सं0–366 एवं 367, रकवा क्रमशः 0.24 एकड़ एवं 0.28 एकड़ कुल रकवा–0.52 एकड़ भूमि मूल खतियानी रैयत दुखन दुसाध वल्द धनी वो फूलचन्द वल्द लेदा कौम–दुसाध वर्किंग खतियान में दर्ज है। वर्ष 1948–1978 के लीज पंजी–II के पृष्ठ संख्या–57/II में भवन पट्टा होल्डिंग संख्या–333, प्लॉट संख्या–366, रकवा–0.24 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–367, रकवा–0.28 एकड़ कुल रकवा–0.52 एकड़ के लीजधारी विमल किशोर सहाय वर्मा पिता शिल्वन्त किशोर सहाय वर्मा के नाम से दर्ज है तथा लीज पंजी–II के प्राधिकार कॉलम के अनुसार उक्त भूमि उपायुक्त, हजारीबाग के आदेश ज्ञापांक–1903, दिनांक–27.05.1983 एवं खास महाल पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक–1029, दिनांक–06.08.1983 द्वारा खास महाल द्वारा पुर्नग्रहित भूमि है। उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि के लीज बंदोबस्ती हेतु श्री अनिल कुमार, श्री सुनिल कुमार, श्री संजय कुमार, श्रीमती पुष्पा सिन्हा एवं श्रीमती उषा के द्वारा दिनांक–18.08.2018 को खास महाल कार्यालय में उक्त भूमि से संबंधित कागजातों/दावा पत्रों के साथ आवेदन दिया गया। आवेदकों के कागजातों/दावा पत्रों की जाँच सरकारी एवं खासमहाल भूमि की लीज बन्दोबस्ती/नवीकरण की नीति में समरूपता

			लाने एवं सरकारी भूमि पर अवैध दखल–कब्जा की अवधि की गणना हेतु समरूप तिथि निर्धारण एवं तत्संबंधी अन्यान्य विषयों पर नीति–निर्धारण संबंधी विभागीय संकल्प संख्या–817/रा0, दिनांक–22.01.2018 में दिये गये निर्देश के आलोक में जाँच करवाई गई। जाँचोपरान्त राजस्व उप निरीक्षक से उनके दावों के पक्ष में प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में लीज बंदोबस्ती संबंधी अभिलेख कार्यालय पत्रांक–323/खा0म0, दिनांक–25.08.2018 द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को अभिलेख संख्या–01/2017–18 अग्रसारित किया गया। उक्त अभिलेख राजस्व विभागीय पत्रांक–4215 (7)/रा0, दिनांक–09.10.2018 द्वारा निम्न बिन्दु पर त्रुटि निराकरण हेतु वापस किया गया है :– "प्रस्तावित भूमि वर्ष 1972 से आवेदक के दखल कब्जे में थी तथा उक्त भूमि पर मकान निर्मित था। अतः लगान की गणना वर्ष 1972 से की जानी थी।"
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किशोरी सिन्हा को मानसिक शारीरीक व आर्थिक कठिनाईयों से निजात दिलाने तथा उपरोक्त खास महाल भूमि के प्रस्ताव कसे रद्द करने का विचार व दोषी लोगों व अधिकारियों को चिन्हित कर दंडित करने का विचार रखते है, हाँ तो, कब तक, नहीं, तो क्यों?		प्रश्नगत भूमि खास महाल की भूमि है, जिसका गलत तरीके से खरीद–बिक्री वर्ष 1970 में किया गया एवं लम्बी अवधि के उपरान्त विवेच्य भूमि का दाखिल खारिज वर्ष 2014–15 में किया गया। इस संबंध में दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित किया जा रहा है, जिनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–7/खा0म0 वि0स0 (अ0सू0)–05/2019.....525.....(5)/रा0 राँची, दिनांक– 07-02-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1107/वि0स0, दिनांक–03.02.19 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(147)

श्री कुणाल षाड़ंगी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–08.02.19 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0– 45 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत MPW (M) की पुनः बहाली स्वास्थ्य निदेशालय, झारखण्ड, रांची ज्ञापांक– स्वा0नि0– 23 / स्था0 (MPW) –02/16 –1205 (23) रांची, दिनांक 04.06.16 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न स्थायी पदों को सरेंडर करते हुए कुल–2150 पदों का सृजन वेतनमान–5200–1900–20200 ग्रेड पे0 1900 पी0बी0–1 के आधार पर बहाली की प्रक्रिया का पालन करते हुए नियुक्ति की गयी हैं ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है, कि 2150 MPW (M) पद का सृजन पर राज्य मंत्री परिषद झारखण्ड सरकारी की स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा एवं वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्ति के उपरांत नियुक्ति हुई है;	स्वीकारात्मक।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत MPW (M) सेवा को स्थायी करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	राज्य में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के 24 जिलों में मलेरिया, फाईलेरिया एवं कालाजार इत्यादि रोग पर नियंत्रण हेतु MPW (M) के कुल– 2150 पदों का सृजन संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त किये जाने हेतु किया गया था। इन स्वीकृत पदों के विरूद्ध कुल–1743 MPW (M) कार्यरत हैं। यह नियुक्ति संविदा आधारित वित्त विभाग के मापदण्ड के अनुसार स्वीकृत मानदेय के आधार पर किया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-21/19 110(15) राँची, दिनांक– 7/2/2019
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 1023 दिनांक– 30-01-19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07.2.19
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(148)

श्री विरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–40, प्रश्नोत्तर :–

क्र0 सं0	प्रश्न		उत्तर
	श्री विरंची नारायण, माननीय स0वि0स0		**श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन, एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में गैरमजरूआ भूमि मालिक भूमि का मालगुजारी रसीद निर्गत हो रहा है ?		स्वीकारात्मक दिनांक–03.07.2018 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–18 में "अन्यान्य" के रूप में लिये गये निर्णय :– "मंत्रिपरिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेखों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुवल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। अवैध जमाबंदी के अभिलेखों में पारित अंतिम आदेश से उपरोक्त निर्णय प्रभावित होगा। वैसे सभी अन्य मामले, जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही के बिना भी लगान रसीद निर्गत किया जाना बाधित है, उन सभी मामलों में भी ऑनलाईन लगान रसीद करने की व्यवस्था करते हुए रसीद निर्गत किया जाय।" उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–2884/रा0, दिनांक–10.07.2018 द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश निर्गत है।
2.	क्या यह बात सही है कि जिला राँची के हेहल अन्तर्गत मौजा कठरगोंदा, थाना नं0–01 के खाता संख्या–134, प्लॉट संख्या–594, रकबा–16.53 डिसमील भूमि का म्यूटेशन दाखिल खारिज केस संख्या–3004/27/2015–16, दिनांक–22.06.2016 को ऑनलाईन पद्धति से कर श्री ज्ञान प्रकाश साहू को करेक्शन स्लिप निर्गत किया है, लेकिन आज तक मालगुजारी रसीद का Payment Option ब्लॉक है ?		स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि मालगुजारी रसीद निर्गत करने रैयत ने दिनांक–11.05.2017, 11.10.2017, 25.08.2018 और 30. 2018 को अंचल अधिकारी हेहल को अपने निबंधित डीड, खतियान और भूमि के कागजातों के साथ आवेदन दिया है, लेकिन अब तक इनके मालगुजारी रसीद का Payment Option Open नहीं हो रहा है, जिससे इनको मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है।		स्वीकारात्मक संबंधित विषय में उपलब्ध कराये गये सभी दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए नियमानुसार निष्पादन किया जायेगा।

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजस्व प्राप्ति हेतु राज्यभर के ऐसे भूमियों का मालगुजारी रसीद निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–01 / निदे0अभि0, वि0स0 (अ0सू0)–09 / 2019–.....107/R रा0, राँची, दिनांक–07-02-19

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–904 / वि0स0 दिनांक–24.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/02/19
सरकार के उप सचिव।

(149)

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–33 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य का एक मात्र होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज गोड्डा एवं राज्य के नये पुराने मेडिकल कॉलेजों द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं किया गया है (हिन्दुस्तान–24.10.218)	उत्तर स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि इस कारण आयुष मंत्रालय दिल्ली, एवं MCI नई दिल्ली ने उपर्युक्त सभी मेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है;	उत्तर स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त सभी मेडिकल कॉलजों के लिए निर्धारित मापदण्डों को पूरा कराना चाहती है हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	सरकार सभी नये–पुराने मेडिकल कॉलेजों के लिए निर्धारित मापदण्ड पूरा करने की दिशा में प्रत्यनशील है। उक्त कॉलेजों में मानव संसाधन की कमी दूर करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–20/आयुष–विधान सभा–05/2019 38 (20) **राँची, दिनांकः–** 30-1-2019

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0–682 वि0स0 दिनांक–21.01.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

30/1/19.

(मनोज कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

(150)

श्री मनीष जायसवाल, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 08.02.19 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–28 का उत्तर सामग्री।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में थैलेसिमिया रोगियों की संख्या एक हजार से अधिक है जिसमें अधिकांश रोगियों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है जिसके कारण राज्य में अब तक कई रोगियों की मृत्यु ईलाज के अभाव में हो चूकी है :	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सिर्फ हजारीबाग जिला में अब तक 70–75 रोगियों की पहचान हो चुकी है परन्तु उक्त रोगी अर्थाभाव के कारण अपना ईलाज नहीं करा पा रहे है क्योंकि उक्त रोग की रोकथाम से संबंधित दवाईयां काफी मंहगी है जो उक्त रोगियो को सरकारी अस्पतालों मे उपलब्ध नहीं कराई जाती है ;	अस्वीकारात्मक। हजारीबाग जिलांतर्गत थैलिसिमिया रोग से ग्रसित कुल–87 रोगियों को चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री गभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत विभागीय पत्रांक–490(13) राँची दिनांक–25.04.18 के द्वारा थैलिसिमिया रोग हेतु भी चिकित्सा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। रक्त अधिकोष, सदर अस्पताल, हजारीबाग में चिन्हित रोगी की सूची पंजीकृत है,जिनको लगभग हर माह निःशुल्क एवं बिना रक्तदाता के रक्त अधिकोष से रक्त उपलब्ध कराया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित रोग राज्य सरकार के गंभीर असाध्य बीमारी की सूची में सूचीगत नहीं होने के कारण उक्त रोगियो का मुख्यमंत्री असाध्य बीमारी योजना का लाभ नहीं मिलती है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक–490(13) राँची दिनांक–25.04.18 के कंडिका(2) के आलोक में थैलिसिमिया रोग को मुख्यमंत्री गभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत सूचीबद्व है। इस योजनान्तर्गत उक्त रोग हेतु राज्य के रोगियो का लाभ मिल रही है।
4.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या जनहित में खण्ड–01 में वर्णित रोग को राज्य के असाध्य रोग की श्रेणी में सूचीगत करते हुए अबतक चिन्हित उक्त रोगियों को मुफ्त ईलाज व दवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0–13/वि0 स0–07–06/2019– 54(13) राँची, दिनांक: 6-2-19

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक सं0–662/वि0स0 दिनांक 20.01.19 के क्रम में उतर सामग्री की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/2/19

सरकार के उप सचिव।

(151)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–08.02.19 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0– 37 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि रांची शहरी क्षेत्र का राजकीय औषधालय, डोरण्डा से नगर के कुल छः औषधालय संलग्न है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है, कि डोरण्डा औषधालय में प्रतिदिन 500 मरीजों को ईलाज, जॉच के साथ ही उक्त पॉच औषधालय के स्थापना संबंधी कार्य भी सम्पादित होते है;	स्वीकारात्मक।
3-	क्या यह बात सही है, कि उक्त कार्यों (जॉच एवं स्थापना कार्य) के लिए लिपिकों एवं प्रयोगशाला प्रावैधिकों का अबतक पद भी स्वीकृत नहीं होने कारण कार्य प्रभावित होता है;	पदों का सृजन पशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा पर मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के आधार पर की जाती है, जो एक निर्धारित प्रक्रिया है।
4-	क्या यह बात सही है, कि उक्त पद स्वीकृत एवं नियुक्ति हेतु प्रेषित मांग पत्र विभागीय स्तर पर अबतक लंबित है;	कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।
5-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या अविलम्ब उक्त पदों को स्वीकृत कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नही तो क्यों ?	विभाग अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा परिचारिक ग्रेड–ए, ए0एन0एम0, फर्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स–रे तकनिशीयन) की नियुक्ति नियमावली 2018 का गठन किया गया है, तत्पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-14/19 115(15) राँची, दिनांक– 7/2/2019

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 833 दिनांक– 23-01-19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07.2.19

सरकार के उप सचिव

Tiwari

152

श्री प्रदीप यादव, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–32 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री प्रदीप यादव, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि टाटा लीज का नवीकरण समझौता तत्कालीन सरकार द्वारा कुछ शर्तों के आधार पर की गयी थी;	स्वीकारात्मक। राजस्व विभागीय राज्यादेश सं0–2776/रा., दिनांक–19.08.2005 के द्वारा टिस्को लीज भूमि का नवीकरण कतिपय शर्तों के साथ किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि टाटा कम्पनी ने उन शर्तों को अबतक पूरा नहीं की है एवं लीज के कई शर्तों का उल्लंघन भी किया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 1. दिनांक–20.08.2005 को राज्य सरकार एवं मेसर्स टाटा स्टील लि0 के बीच सम्पन्न एकरारनामा के अनुसार स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के बी0पी0एल0 परिवारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त टाटा स्टील लि0 द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का तीन वर्षों का अंशदान (25+25+25=75करोड रूपये) जशलॉज के खाते में जमा किया गया है। 2(a). सबलीज आवंटन में अनियमितता संबंधी शिकायत के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के वाद संख्या–WP(C) No.6138/2012 के अंतर्गत दिनांक–17.12.2014 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–549/रा., दिनांक–21.02.2015 के द्वारा आयुक्त, सिंहभूम कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा के अध्यक्षता में पाँच सदस्य समिति का गठन किया गया है जिसका प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त है। इसी तारतम्य में सबलीज संबंधी मामले की जांच महालेखाकार, झारखण्ड के द्वारा भी की गई है एवं इसकी विस्तृत समीक्षा झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के माध्यम से भी की गई है जिसका प्रतिवेदन सरकार को अप्राप्त है। (b). टाटा लीज अंतर्गत 59 सबलीजधारियों में से कतिपय आवंटियों के द्वारा जमशेदपुर शहर में सबलीज पर प्रदान की गयी भूमि के रेन्ट फिक्सेसन के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय

		में वाद सं0–WP(C) No.1181/2009, WP(C) No.2160/2009, WP(C) No.2655/ 2009 एवं WP(C) No.6887/2013 दायर किया गया है जो वर्त्तमान में विचाराधीन है। (c). राजस्व विभागीय राज्यादेश सं0– 2776/रा., दिनांक–19.08.2005 में उल्लेखित शर्त के अंतर्गत शिड्यूल–V में अवस्थित 86 बस्तियों के निवासियों को टिस्को द्वारा भुगतान पर पूर्ववत दी जा रही सुविधाओं के संबंध में दिनांक–20.08.2005 को सम्पन्न नवीकृत लीज डीड में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप जमशेदपुर शहर के नागरिकों को जनसुविधायें उपलब्ध कराये जाने के बिंदु एवं अन्य बिंदुओं पर विभागीय पत्रांक–4749/रा., दिनांक– 03.12.2018 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में दिनांक–29.01.2019 को आयुक्त, सिंहभूम कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा के द्वारा अपनी अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। उपरोक्त सभी मामलों पर अंतिम फलाफल प्राप्त होने के उपरान्त सरकार द्वारा समीक्षोपरांत नियमानुसार समुचित अग्रेत्तर कारवाई की जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टाटा लीज नवीकरण समझौता की समीक्षा करना चाहती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका –2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–4/स.भू.वि.स.(अ.सू.)–09/2019...527...(4)/रा., राँची, दिनांक–...07.02.19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं. प्र.–683/वि.स., दिनांक–21.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

153

श्री बादल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.02.2019 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–46 का प्रश्नोत्तर :–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री बादल, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक– 03.07.2018 को झारखण्ड सरकार के मंत्रिपरिषद द्वारा राजस्व, निबन्धन एवं भूमि सुधार विभाग को गैर मजरूआ जमीन का राजस्व रसीद निर्गत करने का आदेश दिया गया था एवं राजस्व, निबन्धन एवं भूमि सुधार के ज्ञापांक–2884 (5) रा0, दिनांक–10.07.2018 द्वारा एतद् आदेश सभी जिलों के उपायुक्तों को दिया गया था;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि मंत्रिपरिषद के उक्त निर्णय के विरूद्ध सचिव, राजस्व, निबन्धन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा गैर मजरूआ जमीन के निबन्धन पर रोक लगा दी गई है;		अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि W.P.(C) No.-6184/2014 राजराजेश्वर प्रसाद सिंह बनाम् राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–19.05.15 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार के अधिसूचना सं0–1132, दिनांक–26.08.15 द्वारा सरकारी भूमि (कैशरे–हिन्द भूमि/ गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/वन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के लिए अर्जित/हस्तांतरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) जिसके संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, उपायुक्त या उनके प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से निबंधन पदाधिकारी को संसूचित किया गया हो, के हस्तांतरण विलेख के निबंधन को निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा–22 "क" के अधीन लोकनीति के विरूद्ध घोषित किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी निबन्धन कार्यालयों में Online Registration G.M. Land को Lock कर दिया गया है;		वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के उपर्युक्त अधिसूचना सं0–1132, दिनांक–26.08.15 के आलोक में उपायुक्तों द्वारा सरकारी भूमि (कैशरे–हिन्द भूमि/गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/वन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के लिए अर्जित/हस्तांतरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के विरूद्ध दिए गए आदेश के लिए सचिव, राजस्व, निबन्धन एवं भूमि सुधार विभाग पर समूचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं, तो क्यों ?		उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–5/स0भू0 (वि0स0अल्प0)–30/2019.....511.....(5)/रा0 राँची, दिनांक– 07-02-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1074/वि0स0, दिनांक–01.02.19 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(154)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–08.02.19 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0– 47 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि राज्य में बिहार चिकित्सा शिक्षा 1997 कि नियमावली के नियमों के तहत PMCH धनबाद तथा MGMCH जमशेदपुर में चिकित्सा शिक्षकों एवं प्रशासनिक पद जैसे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति, पदस्थापन व प्रन्नोति दी जाती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2018 का गठन किया जा चुका है।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विषय के आलोक में उक्त 1997 की नियमावली के नियमों को झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2018 के नियमों में Repeal कर तो दी गयी है, परन्तु इस नियमावली को आज दिनांक–29.01.19 तक भी लागू नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
3-	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2018 के लागू/प्रभावी नहीं होने से वर्त्तमान समय में PMCH धनबाद व MGMCH जमशेदपुर में उक्त नियमावली कि नियमों के प्रतिकूल सभी कार्य हो रहें है ;	अस्वीकारात्मक।
4-	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा 2018 नियमावली को अविलम्ब प्रभावी करते हुए एवं उक्त नियम के लागू होने के उपरान्त आज दिनांक–29.01.19 तक PMCH धनबाद व MGMCH जमशेदपुर में हुई नियमों के प्रतिकूल कार्यो पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	विभागीय अधिसूचना सं0–421 (9) दिनांक–22.11.18 द्वारा झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2018 का गठन किया गया है। यह नियमावली अधिसूचना निर्गत की तिथि से पूर्ण रूपेण प्रभावी है। उक्त नियमावली में अंकित प्रावधानों के आलोक में नियुक्ति/ प्रोन्नति की कार्रवाई की जायेगी।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06-03/19 – 52(9) राँची, दिनांक– 6/2/19

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 1073 दिनांक– 01-02-19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/2/2019
सरकार के उप सचिव

Tiwari